छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर-492002

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक: 01/08/2023

क्रमांक एफ 1-26/2023/20-2::: सहायक शिक्षक(एल.बी.) से प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) और शिक्षक तथा शिक्षक से प्रधान पाठक(पूर्व माध्यमिक शाला) के पद पर पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना ओपन काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-96/2022/20-2, दिनांक 07.11.2022 एवं दिनांक 29.03.2023 द्वारा प्रदेश के समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था।

2/ उक्त निर्देशों के पालन में संभागीय संयुक्त संचालक(शिक्षा) सरगुजा अम्बिकापुर के द्वारा सहायक शिक्षकों के पदोन्नति उपरांत पदस्थापना हेतु काउंसलिंग करते हुए पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे।

3/ उक्त काउंसलिंग के पश्चात् भी पदोन्नति उपरांत पदस्थापना आदेश में संशोधन किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की संभागायुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर से प्रारंभिक जांच कराया गया। जांच में पाया गया कि-

(1) संभागीय संयुक्त संचालक(शिक्षा) कार्यालय सरगुजा द्वारा दिनांक 22.03.2023 को सहायक शिक्षक से शिक्षक एवं शिक्षक/शिक्षक एलबी. से पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. आहूत किया गया।

(2) शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक के पद पर ओपन काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना हेतु 1030 को आहूत की गई, जिसमें 802 उपस्थित, 61 अनुपस्थित तथा 167 पदोन्नति लेने से इंकार किया गया। इस प्रकार कुल उपस्थित/अनुस्थित 863 शिक्षक से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किए गए।

(3) शिक्षक एलबी. से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति ओपन काउंसिलिंग हेतु विषयवार ई/टी-संवर्ग के 1967 सहायक शिक्षको आहूत किया गया, जिसमें से 1869 उपस्थित, 61 अनुपस्थित एवं 37 पदोन्नति लेने से इंकार किया गया। इस प्रकार कुल उपस्थित/अनुपस्थित 1930 सहायक शिक्षकों के पदोन्नति आदेश जारी किए गए।

(4) ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से उक्त पदोन्नति आदेश जारी किए जाने के पश्चात् पदोन्नत शिक्षक 316 एवं पदोन्नत प्रधान पाठक के 69 कुल-385 पदोन्नति आदेश में शासन आदेश/निर्देश के विपरीत संशोधित आदेश जारी किया गया।

(5) पदोन्नति नस्ती में पाया गया कि काउंसिलिंग पश्चात् 863 शिक्षक से प्रधान पाठक पद पर एवं 1930 सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर टी/ई का पृथक-पृथक संवर्गवार एवं पदवार एकजाई पदोन्नति आदेश जारी न कर पृथक-पृथक व्यक्तिगत रूप से पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किए गए हैं, जिससे उनकी वरिष्ठता सूची प्रभावित हो सकती है।

(6) पदोन्नति नस्ती मे उल्लेखानुसार कुल 2793 शिक्षकों की पदोन्नति/पदस्थापना की गयी है, जबकि जावक पंजी के अनुसार मात्र 2767 पदोन्नति आदेश जारी किए जाने की प्रविष्टि दर्ज है। इस प्रकार 26 पदोन्नति आदेशों को जारी किये जाने की प्रविष्टि जावक पंजी में दर्ज नहीं है।

(7) सरगुजा संभाग में कुल 2793 शिक्षकों की काउंसिलिंग में उनकी सहमति लेकर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत पुनः 385 शिक्षकों/प्रधान पाठकों के पदस्थापना संबंधी आदेश जारी करने में शासन आदेश का पालन नहीं किया गया।

निरंतर...2....

(8) कार्यालय के जावक पंजी के जारी किए गए संशोधन आदेश हेतु जावक क्रमांक 7918 से 8530 तक सूची बना कर जावक पंजी में चस्पा किया गया है, जिसकी संख्या 301 होती है, जबकि अभिलेखों के अवलोकन अनुसार 385 शिक्षकों के पदोन्नति/पदस्थापना आदेश में संशोधन आदेश जारी किया गया है। इस प्रकार कुल 84 संशोधन आदेश की जावक पंजी में प्रविष्टि नहीं है।

(9) संभागीय कार्यालय में पदोन्नति पूर्व एकल शिक्षकीय/ शिक्षक विहीन शालाओं की संख्या 338 है, किन्तु पदोन्नति आदेश में संशोधन के बाद उक्त विद्यालय एकल शिक्षकीय/शिक्षक विहीन हुए हैं, जिसका ध्यान नहीं रखा गया।

4/ उक्त संबंध में, कुल 2793 सहायक शिक्षक/प्रधान पाठक के पद से पदोन्नति उपरांत **385** शिक्षक/प्रधान पाठक के पदस्थापना स्थान में संशोधन कर शासन निर्देश के विपरीत अनियमिता की गई, जिसमें मुख्य रूप से श्री हेमंत उपाध्याय (मूल पद-उप संचालक) प्रभारी संयुक्त संचालक, सरगुजा अम्बिकापुर के द्वारा अवैधानिक रूप से पैसों की लेन-देन कर भारी भ्रष्टाचार किए जाने की पुष्टि हुई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।

5/ अतएव, राज्य शासन एतद्द्वारा, **श्री हेमंत उपाध्याय (मूल पद-उप संचालक) प्रभारी संयुक्त संचालक(शिक्षा) सरगुजा अम्बिकापुर** को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

6/ निलंबन अवधि में श्री उपाध्याय का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में निलंबित लोक सेवकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

01/8/23

(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-26/2023/20-2 **नवा रायपुर, दिनांकः 01/08/2023**

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
3. संभागायुक्त, सरगुजा अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।
4. संभागीय संयुक्त संचालक(शिक्षा) सरगुजा अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।
5. श्री हेमंत उपाध्याय (मूल पद-उप संचालक) प्रभारी संयुक्त संचालक(शिक्षा) सरगुजा अम्बिकापुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6. स्टाक फाईल।

01/8/23

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग